भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2023

क्रमांक– 2741/मप्रविनिआ/2023 विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) के साथ पठित धारा 43(1), धारा 44, धारा 45, धारा 46, धारा 47, धारा 48(ख), धारा 50, धारा 56, धारा 181(2)(ब) एवं धारा 181(2)(भ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) की धारा 9 (ञ) के अंतर्गत प्रदत्त किये गये समस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 {क्रमांक आरजी–I(II), वर्ष 2021}, जिसे एतद् पश्चात् **"मूल संहिता"** विनिर्दिष्ट किया गया है, में निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में प्रथम संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभः**

1.1 यह संहिता **"मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (प्रथम संशोधन) {एआरजी–I (II) (i), वर्ष 2023},**कहलाएगी।

1.2 यह संहिता मध्यप्रदेश शासनके शासकीय राजपत्र में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगी।

1.3 यह संहिता सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होगी।

2. **मूल संहिता के अध्याय 2 में संशोधन** :

मूलसंहिता के खण्ड 2.1 के उप–खण्ड (ङ), (गग), (तत)तथा (नन) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड स्थापित किये जाएं, अर्थात् :–

(ङ) **"प्राधिकृत भार"** का तात्पर्य किसी निम्न दाब उपभोक्ता के संबंध में अनुमानित भार से है जिसका उपयोग उपभोक्ता परिसर में किया जा सकता है। इसे प्रति माह प्रत्येक 15 यूनिट खपत या उसके किसी भाग को 0.1 किलोवाट भार के बराबर मानते हुये इसे 0.1 किलोवाट के गुणजों (मल्टीपल) में अभिव्यक्त किया जाएगा। प्राधिकृत भार उपभोक्ता परिसर में स्वीकृत भार से कम या इससे अधिक हो सकता है तथा इस पर परिसर के अन्तर्गत कुल संयोजित भार को प्राक्कलित करने के प्रयोजन से विचार नही किया जाएगा ;

(गग) **"समूह प्रयोक्ता (ग्रुप यूज़र)"** का तात्पर्य म.प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी गृह निर्माण संस्था या उसके कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति से या उपभोक्ताओं के अन्य किसी समूह से है जिसे खुदरा विद्युत आपूर्ति विद्युत–दर आदेश के अन्तर्गत "थोक (बल्क) आवासीय प्रयोक्ताओं" की श्रेणी में एकल बिन्दु आपूर्ति प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो ;

(तत) **"ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर)"** का तात्पर्य औसत मासिक ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) से है तथा इसकी गणना माह के दौरान प्रदाय किये गये कुल

किलोवाट घंटे तथा कुल किलोवोल्ट एम्पीयर घंटे के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जाएगी ; इस प्रतिशत को निकटतम एकीकृत अंक (integer figure) तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 की भिन्न तथा उससे अधिक को अगले अधिक एकीकृत अंक तक पूर्णांक किया जायेगा, जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (ignored) किया जाएगा ;

(नन) **"अस्थाई संयोजन (टेम्परेरी कनेक्शन)"** से अभिप्रेत है ऐसा विद्युत संयोजन जो किसी व्यक्ति द्वारा उसकी अस्थाई प्रकृति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तथा दो वर्ष से कम की अवधि हेतु अपेक्षित है ;

3. **मूल संहिता के अध्याय 4 में संशोधन :**

3.1 मूलसंहिता के खण्ड 4.48 के स्थान पर निम्नखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"4.48 कोई भी व्यक्ति जिसे इस प्रयोजन हेतु दो वर्षों से कम अवधि के लिए विद्युत प्रदाय की आवश्यकता हो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वांछित निर्दिष्ट प्रपत्र में अस्थाई विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अस्थाई संयोजन की अवधि को पांच वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है। 10 किलोवाट तक के भारों हेतु अस्थाई विद्युत आपूर्ति के लिये मांग हेतु आवेदन सात दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा जबकि उच्चतर भारों हेतु मांग हेतु आवेदन 30 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा।"

3.2 मूल संहिता के खण्ड 4.84 में संशोधन :

3.2.1 मूल संहिता के खण्ड 4.84 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

खण्ड के प्रारम्भ में शब्द "इस संहिता के खण्ड 4.18 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी" जोड़े जाएं।

3.2.2 मूल संहिता के खण्ड 4.84 के उप–खण्ड को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

मूल संहिता के खण्ड 4.84 के उप–खण्ड (एक) में शब्दों "सहकारी समूह गृह–निर्माण समिति द्वारा समिति के किसी भी व्यक्ति को सीधे वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने हेतु अनुमति प्रदान करना होगी" के स्थान पर शब्द "सहकारी समूह गृह–निर्माण समिति का कोई भी व्यक्ति इस संहिता में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्रत्यक्ष रूप से सीधे विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर सकता है।" स्थापित किये जाएं।

3.2.3 मूल संहिता के खण्ड 4.84 के उप–खण्ड (एक) के उप–खण्ड (क) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

खण्ड 4.84 के उप–खण्ड (एक) के उप–खण्ड (क) में शब्दों "अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी विद्युत वितरण प्रणाली (नेटवर्क)" के स्थान पर शब्द "समूह गृह–निर्माण समिति के विद्यमान विद्युत वितरण नेटवर्क" स्थापित किये जाएं।

3.2.4 मूल संहिता के खण्ड 4.84 के उप–खण्ड (एक) के उप–खण्ड (ख) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा, नया संयोजन प्राप्त करने हेतु, अनुज्ञप्तिधारी को देय प्रयोज्य प्रभार, यथासंशोधित मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2022 तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में निर्दिष्टानुसार होंगे।"

3.2.5 मूल संहिता के खण्ड 4.84 के उप–खण्ड (1) के उप–खण्ड (ग) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(ग) ऐसे उपभोक्ता हेतु सेवा दायित्वों का निर्वहन बिना किन्हीं शर्तों के निष्पादित किये जाने के उद्देश्य से समूह उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि को परिसर के विद्युत आपूर्ति स्थल पर किसी भी समय पहुंच सुलभ कराना होगी।"

3.2.6 मूल संहिता के खण्ड 4.84 के उप–खण्ड (एक) के उप–खण्ड (ग) के पश्चात् उप–खण्ड (घ) से (ज) निम्नानुसार अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात् :

"(घ) ऐसे उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति नवीन स्मार्ट अग्रिम– भुगतान अथवा अग्रिम–भुगतान मापयन्त्र (मीटर) के माध्यम से करायी जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मापयन्त्र की स्थापना ऐसे उपभोक्ता के परिसर में उपयुक्त स्थल पर की जाएगी तथा ऐसे उपभोक्ता का मापयन्त्र वाचन तथा बिलिंग की कार्यवाही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी। समूह गृह–निर्माण समिति द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को प्रदत्त मापयन्त्र का विघटन (dismantled) कर दिया जाएगा तथा उन्हें लौटा दिया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति के हस्तांतरण की तिथि तक किये गये अन्तिम मापयन्त्र वाचन के आधार पर समूह गृह–निर्माण समिति द्वारा अन्तिम देयक तैयार किया जाएगा तथा ऐसे उपभोक्ता को इस देयक की राशि का भुगतान समूह गृह–निर्माण समिति को करना होगा।

(ङ) ऐसे उपभोक्ताओं तथा समूह गृह–निर्माण समिति की बिलिंग निम्न रीति द्वारा की जाएगी :

(1) बिलिंग हेतु प्रत्येक माह के दौरान ऐसी विद्युत की कुल खपत मापयन्त्र (मीटर) में अभिलेखित खपत तथा इस खपत पर 4 प्रतिशत वितरण हानियों का योग होगी ;

(2) ऐसे उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारों की वसूली प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर की जाएगी। विद्युत प्रदाय संहिता के समस्त प्रावधान, जब तक किसी प्रावधान के संबंध में विशेष रूप से छूट प्रदान न की गई हो, अनुज्ञप्तिधारी को उसकी विद्युत आपूर्ति हस्तांतरित किये गये ऐसे उपभोक्ता के संयोजनों पर लागू होंगे ;

(3) प्रत्येक माह में ऐसे समस्त उपभोक्ताओं की कुल विद्युत खपत को समूह गृह–निर्माण समिति के उच्च दाब मापयन्त्र (HT Meter) में अभिलिखित खपत में से घटा दिया जाएगा तथा बिलिंग के प्रयोजन हेतु समूह गृह–निर्माण समिति के ऊर्जा प्रभारों की गणना उपरोक्त विधि के अनुसार परिकलित शुद्ध खपत के अनुसार की जाएगी ;

(4) बिलिंग के प्रयोजन हेतु समूह गृह–निर्माण समिति हेतु उच्चतम मांग की संगणना हेतु, समरूप 15 मिनट के समय खण्ड में ऐसे समस्त उपभोक्ताओं हेतु मापयन्त्रों में अभिलेखित मांग को, जिसके अन्तर्गत समूह गृह–निर्माण समिति की उच्चतम मांग अभिलेखित की गई थी, घटा दिया जाएगा ;

(च) समूह प्रयोक्ता के वितरण तन्त्र (नेटवर्क) में व्यवधान या देयक का भुगतान न किये जाने के कारण या अन्य उल्लंघनों के कारण समूह प्रयोक्ता का संयोजन विच्छेद किये जाने के प्रकरण में भी ऐसे उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की मांग नहीं की जा सकेगी। ऐसे उपभोक्ताओं के संबंध में यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां संबंधित मामले) विनियम, 2022 के अन्तर्गत नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन प्रणाली हेतु शुद्ध/सकल मापयन्त्र संयोजन पर तभी विचार किया जा सकेगा जब प्रयोज्य विनियमों के उपबन्धों के अधीन ऐसा किया जाना संभव हो जाए।

(छ) इस संहिता में अन्यत्र उल्लेखित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आपूर्ति प्रणाली के अन्तर्गत अन्तरित हो तो समूह प्रयोक्ता ऐसे उपभोक्ता के स्वीकृत भार की सीमा के अन्तर्गत अपनी संविदा मांग को घटाने हेतु अधिकृत होगा।

(ज) समूह प्रयोक्ता अपनी वितरण प्रणाली को समूह प्रयोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध/करार के अनुसार संधारित करेगा तथा वह समूह प्रयोक्ता के निवासी जो अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता हों या फिर अन्यथा भी हों, के मध्य भेदभाव नहीं करेगा।"

3.2.7 मूल संहिता के खण्ड 4.84 के उप–खण्ड (दो) को विलोपित किया जाए।

3.2.8 मूल संहिता के खण्ड 4.84 के उप–खण्ड (तीन) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

इस उप–खण्ड के अन्तर्गत शब्द **"प्रयोज्य"** के पश्चात् तथा **"विद्युत–दर (टैरिफ)"** से पूर्व अवस्थित शब्द **"घरेलू"** को विलोपित किया जाए।

3.2.9 मूल संहिता के खण्ड 4.84 के पश्चात् उप–खण्ड (तीन) के पश्चात् निम्न नवीन परन्तुक अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात्:

परन्तु यह कि समूह प्रयोक्ता के एकल बिन्दु संयोजन के तन्त्र (नेटवर्क) से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वैयक्तिक संयोजन प्रदान करने की सुविधा समूह प्रयोक्ता के कुल सदस्यों की संख्या के 50% अंश हेतु उपलब्ध होगी :

परन्तु आगे यह और कि यदि समूह प्रयोक्ता के कुल सदस्यों की संख्या के 50% से अधिक सदस्य अनुज्ञप्तिधारी से पृथक संयोजन प्राप्त करने के इच्छुक हों तो अनुज्ञप्तिधारी समूह प्रयोक्ता के एकल बिन्दु संयोजन को समाप्त कर समस्त उपभोक्ताओं को वैयक्तिक संयोजन प्रदान करने संबंधी पहलू का परीक्षण करेगा। अनुज्ञप्तिधारी यथासंशोधित मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2022 के विनियम 4.4 में शीर्षक "सुसंबद्ध राज्य शासन विनियमों के अधीन विकसित की गई कालोनियों/अभिन्यास जिनमें विद्युतीकरण की लागत राशि का भुगतान न किये जाने के कारण विद्युतीकरण न किया जा सका हो, को विद्युत की आपूर्ति" के अन्तर्गत निर्दिष्ट की गई प्रक्रिया को अपनाकर वांछित अतिरिक्त अधोसंरचना की लागत को प्राक्कलित करेगा तथा उपभोक्ताओं को तद्नुसार सूचित किया जाएगा। यदि समूह प्रयोक्ता के एकल बिन्दु संयोजन के समापन के संबंध में निर्णय लिया जाता है तो अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि को शिथिल किया जाएगा तथा उच्च दाब अनुबन्ध को असमाप्त अवधि (unexpired period) हेतु कोई भी प्रभार देय न होंगे।"

4. मूलसंहिता के अध्याय 6 में संशोधन :

4.1 मूल संहिता के अध्याय 6 के खण्ड क्रमांक 6.1, 6.2, 6.3 तथा 6.34 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :

मूल संहिता के खण्ड क्रमांक 6.1, 6.2, 6.3 तथा 6.34 में शब्दों "केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010" के स्थान पर शब्द "समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2023" स्थापित किये जाएं ।

4.2 मूल संहिता के खण्ड 6.18 में संशोधन :

मूल संहिता के खण्ड 6.18 के स्थान पर निम्न खण्ड स्थापित किया जाए :

"6.18 उच्च दाब (HT)/अति उच्च दाब (EHT) उपभोक्ताओं द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2023 के उपबन्धों के अनुसार सुरक्षात्मक प्रणाली स्थापित की जाएगी।"

4.3 मूल संहिता के खण्ड 6.40 में संशोधन :

4.3.1 **मूल संहिता के खण्ड 6.40 कोनिम्नानुसारसंशोधित किया जाए :**

"6.40 उपभोक्ता द्वारा स्वयं स्थापित किये गये विद्युत उत्पादन संयन्त्र (जनरेटर) के अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के साथ समानान्तर परिचालन की अनुमति समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम 2023 के प्रयोज्य उपबन्धों के अध्यधीन अनुज्ञप्तिधारी की लिखित अनुमति से प्रदान की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी आयोग से अनुमति प्राप्त कर समानान्तर परिचालन प्रभारों (पैरलल ऑप्रेशन चार्जेस) को आरोपित कर सकेगा :"

4.3.2 **मूल संहिता के खण्ड 6.40 के पश्चात् निम्न परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"परन्तु यदि विद्युत उत्पादन संयन्त्र अनुज्ञप्तिधारी की लिखित सहमति के बिना अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के समानान्तर चालू अवस्था में पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति को तत्काल विच्छेदित कर देगा तथा या तो इसे पुनर्संयोजितकेवल ऐसी दशा में करेगा जब अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से समानान्तर विद्युत उत्पादन संयन्त्र को संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो या वैकल्पिक विद्युत उत्पादन संयन्त्र को अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली, से पृथक/विलग (isolated) कर दिया गया हो। ऐसी विच्छेदित अवधि के दौरान, उपभोक्ता को ऐसे प्रभारों का भुगतान करना होगा जैसा कि वे खुदरा विद्युत– आपूर्ति टैरिफ आदेश के अनुसार प्रयोज्य हों।"

5. **मूलसंहिता के अध्याय 7 में संशोधन :**

5.1 **मूल संहिता के अध्याय 7 के खण्ड 7.7 के पश्चात् एक नवीन परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :**

"परन्तु यह कि दो वर्ष की प्रारंभिक अनुबन्ध अवधि में अतिरिक्त भार या प्रदाय वोल्टेज में परिवर्तन के कारण 2 वर्ष से ऊपर व अधिक कोई नवीन प्रारंभिक अनुबन्ध अवधि नहीं होगी।"

5.2 **मूल संहिता के अध्याय 7.8 में संशोधन :**

मूल संहिता के खण्ड 7.8 के पश्चात् दो नवीन परन्तुक अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात् :

परन्तु यह कि जहां उपभोक्ता निम्न वोल्टेज स्तर पर या तो विद्यमान संविदा मांग के साथ या फिर नवीन संविदा मांग जो कि विद्यमान संविदा मांग से कम किन्तु निम्न वोल्टेज हेतु भार सीमाओं के योग्य हो, के साथ अन्तरण किये जाने का इच्छुक हो, वहां विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) का भुगतान संविदा मांग पर किया जाना आवश्यक न होगा, परन्तु अन्य प्रभार जैसा कि वे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2022 के अन्तर्गत उक्त निम्न वोल्टेज के लिये प्रयोज्य हैं, देय होंगे :

परन्तु आगे यह और कि, यदि उपभोक्ता विद्यमान संविदा मांग में वृद्धि के साथ निम्न वोल्टेज स्तर पर अन्तरण का इच्छुक हो तो विद्यमान संविदा मांग के ऊपर तथा अधिक मांग पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार जैसा कि वे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2022 के अन्तर्गत उक्त निम्न वोल्टेज के लिये प्रयोज्य हैं, देय होंगे।"

5.3 **मूल संहिता के खण्ड 7.11 में संशोधन :**

मूल संहिता के खण्ड 7.11 के उप–खण्डों (ख) तथा (ग) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड स्थापित किये जाएं, अर्थात् :

"(ख) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन पर उपरोक्त उल्लेखित सात दिवस के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है तो उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को लिखित नोटिस देकर विषय बाबत उसका ध्यान आकृष्ट कर सकेगा तथा तदोपरान्त भी यदि उपभोक्ता को निर्णय की सूचना आगे सात दिवस के भीतर प्रदान नहीं की जाती है तो संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी अनुमति आगामी बिलिंग चक्र के प्रथम दिवस से, प्रभावशील अनुवर्ती माह में जिसके अन्तर्गत उक्त नोटिस की समापन हुआ हो, प्रदान की गई मानी जाएगी।

(ग) यदि संविदा मांग में कमी किये जाने को अनुज्ञेय किया जा चुका हो तो संविदा मांग में कमी की जाना उस माह के आगामी बिलिंग चक्र के प्रथम दिवस से प्रभावशील हो जाएगा जिस माह में संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी निर्णय आवेदक को सूचित किया गया हो।"

5.4 **मूल संहिता के खण्ड 7.13 में संशोधन :**

मूल संहिता के खण्ड 7.13 के स्थान पर निम्न खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"7.13 प्रारंभिक करार/अनुबन्ध अवधि के समापन पश्चात् उपभोक्ता अपने स्वयं के संयोजन की संविदा मांग इस संहिता में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी हेतु न्यूनतम संविदा मांग के अध्यधीन कम किये जाने बाबत अधिकृत होगा :

परन्तु यह कि उपभोक्ता द्वारा अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि के भीतर संविदा मांग को पूर्व ही से कम किया जा चुका हो तो भी वह अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि के समापन पश्चात् इस संहिता में विनिर्दिष्ट विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी हेतु न्यूनतम संविदा मांग के अध्यधीन तत्काल अपनी संविदा मांग को और आगे कम किये जाने हेतु अधिकृत होगा :

परन्तु आगे यह और कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संविदा मांग कम किये जाने संबंधी अनुवर्ती अनुरोध संविदा मांग में पूर्व में कमी किये जाने संबंधी प्रभावशील तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि के समापन पश्चात् ही किया जा सकेगा।"

5.5 **मूल संहिता के खण्ड 7.17 में संशोधन :**

मूल संहिता के खण्ड 7.17 के पश्चात् निम्न परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"परन्तु यह कि निम्न दाब घरेलू तथा निम्न दाब एकल फेज गैर–घरेलू उपभोक्ताओं के प्रकरण में करार/अनुबन्ध संबंधी आवश्यकता नहीं होगी तथा संयोजन इस संहिता में आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये गये अनुसार आवेदन सह घोषणा में प्रस्तुत स्वघोषणा (self declaration) प्रस्तुत किये जाने पर प्रदान किया जाएगा।"

5.6 **मूल संहिता के खण्ड 7.24 में संशोधन :**

मूल संहिता के खण्ड 7.24 के स्थान पर निम्न खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"7.24 जहां उपभोक्ता की स्थापना को शासन या विद्युत निरीक्षक या अन्य समुचित प्राधिकारी के दिशा–निर्देश के अनुसार अस्थाई रूप से विच्छेदित किया जाता हो वहां विद्युत आपूर्ति का पुनर्संयोजन शासन या विद्युत निरीक्षक या अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किये

जाने तथा यथा आवश्यक निर्दिष्ट पुर्नसंयोजन प्रभारों का भुगतान किये जाने पर, किया जा सकेगा। सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जबकि यह विच्छेदन जिला कलेक्टर के आदेशों के अन्तर्गत हुआ हो, उपभोक्ता के अस्थाई विच्छेदन की अवधि के दौरान, उपभोक्ता को खुदरा विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश के अनुसार, जैसा कि वह यथा प्रयोज्य हो, प्रभारों का भुगतान करना होगा।"

5.7 **मूल संहिता के खण्ड 7.25 में संशोधन :**

मूल संहिता के खण्ड 7.25 के स्थान पर निम्न खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"7.25 नाम में परिवर्तन, परिसर में परिवर्तन, संयोजनों के संविलियन, परिसर के स्थानान्तरण, संयोजित भार में परिवर्तन, टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन आदि के प्रयोजन के बारे में कोई भी संशोधन किया जा सकेगा यदि उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी दोनों इन संशोधनों के बारे में सहमति प्रकट करते हों तथा इसे अनुपूरक अनुबन्ध (supplementary agreement) में सम्मिलित किया जाएगा :

परन्तु यह कि अनुपूरक अनुबन्ध की कोई अनुबन्ध अवधि न होगी :

परन्तु आगे यह और कि विद्युत आपूर्ति को निम्न दाब से उच्च दाब तथा विलोमतः (vice versa) परिवर्तन के बारे में नवीन अनुबन्ध का निष्पादन परिवर्तित आपूर्ति वोल्टेज हेतु नवीन प्रारूप में निष्पादित किया जाएगा।"

5.8 **मूल संहिता के खण्ड 7.27 में संशोधन :**

मूल संहिता के खण्ड 7.27 के स्थान पर नवीन खण्ड निम्ननानुसारस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"7.27 यदि किसी उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति उसके द्वारा बकाया राशि या प्रभारों का भुगतान न करने के कारण या इस संहिता के किसी निर्देश का पालन न करने के कारण निरन्तर साठ दिवस की अवधि तक विच्छेदित रहता हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के अनुबन्ध के समापन के लिए पन्द्रह दिवस का नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता द्वारा विच्छेदन के कारण को दूर करने के लिये या विद्युत प्रदाय पुनर्स्थापित करने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठाता है तो नोटिस की अवधि समाप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुबन्ध समाप्त कर दिया जाएगा बशर्ते अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि समाप्त हो चुकी हो। संयोजन को भी स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को प्रभावित किये बगैर उक्त विशिष्ट त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के संयोजन को विद्युत प्रणाली (नेटवर्क) से हटा दिया

जाएगा। अस्थाई विच्छेदन की अवधि के दौरान उपभोक्ता को ऐसा प्रभारों का भुगतान करना होगा जैसा कि वे खुदरा विद्युत आपूर्ति टैरिफ आदेश के अनुसार प्रयोज्य हों। ऐसे प्रकरणों में संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि के पूर्ण होने पर या फिर नोटिस अवधि के समापन पश्चात् यदि प्रारंभिक अनुबन्ध अवधि पूर्व में ही समाप्त हो चुकी हो तो करार/अनुबन्ध का समापन कर दिया जाएगा।"

6 **मूल संहिता के खण्ड 8 में संशोधन :**

6.1 **मूल संहिता के अध्याय 8 के खण्ड 8.30 के स्थान पर नवीन खण्ड निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :**

"8.30 स्मार्ट मापयन्त्रों (मीटरों) के प्रकरण में मापयन्त्रों का वाचन दूरस्थ (रिमोट) प्रकार से दिवस में कम से कम एक बार किया जाएगा तथा अन्य अग्रिम भुगतान मापयन्त्रों (प्री–पेमेंट मीटरों) के प्रकरण में मापयन्त्रों का वाचन किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार किया जाएगा। ऊर्जा खपत संबंधी आंकड़ों को वेबसाइट या मोबाइल एप या एसएमएस आदि के माध्यम से उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। स्मार्ट अग्रिम भुगतान मापयन्त्र धारक उपभोक्ताओं को आंकड़ों तक पहुंच, उनके स्वयं द्वारा की गई विद्युत खपत तथा अवशेष राशि की जांच हेतु, न्यूनतम दैनिक आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।"

6.2 **मूल संहिता के खण्ड 8.35 में संशोधन :**

मूल संहिता के खण्ड 8.35 के स्थान पर नवीन खण्ड निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"8.35 प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी हेतु देयक (बिल) प्रचलित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के आधार पर तैयार किये जाएंगे। उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी हेतु विद्युत–दर वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी तथा उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट के साथ–साथ ऊर्जा देयकों या एसएमएस (शार्ट मैसेज सर्विस) या मोबाइल एप्लीकेशन, आदि के माध्यम से भी न्यूनतम एक बिलिंग चक्र 'की अवधि के पूर्व (ahead of time)', ईंधन तथा विद्युत क्रय मूल्य समायोजन प्रभार (FPPAS) तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर, दरों में परिवर्तन के सम्बंध में सूचना दी जाएगी।"

6.3 **मूल संहिता के खण्ड 8.39 में संशोधन :**

मूल संहिता के खण्ड 8.39 को विलोपित किया जाए।

6.4 **मूल संहिता के खण्ड 8.40 में संशोधन :**

मूल संहिता के खण्ड 8.40 के स्थान पर नवीन खण्ड निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"8.40 अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मांग को छोड़कर,अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंकेक्षण (आडिट) अथवा सतर्कता (vigilance) संबंधी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिये जब भी पृथक देयक जारी किये जाएंगे ऐसे देयक मासिक आधार पर जारी किये जायेंगे जिसके अन्तर्गत ऐसे देयकों के साथ–साथ देयक तैयार करने के आधार का विवरण तथा देयक की अवधि, इत्यादि लिखित में प्रदान की जाएगी। उपरोक्त देयकों का भुगतान निर्दिष्ट की गई अवधि (जो 15 पूर्ण दिवस से कम न होगी) में पूर्ण रूप से न किये जाने पर, बिल की बकाया राशि (सतर्कता वसूलियों को छोड़कर) को उपभोक्ता के आगामी देयकों में निरन्तर जोड़ा जाएगा जब तक उपभोक्ता द्वारा देयक का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या अन्यथा उनका समायोजन नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी सतर्कता वसूलियों की राशि का प्रदर्शन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मय प्रयोज्य ब्याज के, उपभोक्ता के विद्युत देयकोंमें प्रदर्शित कर सकेगा परन्तु सतर्कता वसूलियों की बकाया राशि के बारे में खुदरा विद्युत–अपूर्ति टैरिफ आदेश के अनुसार विलम्बित भुगतान अधिभार की गणना हेतु विचार नहीं किया जाएगा तथा उपभोक्ता द्वारा किये गये भुगतान को कुल बकाया राशि में, सतर्कता वसूलियों तथा उस पर उपार्जित ब्याज (interest accrued) को छोड़कर, मूल संहिता के खण्ड 9.11 में निर्दिष्ट की गई प्राथमिकता के अनुसार समायोजित किया जाएगा।"

6.5 **मूल संहिता के खण्ड 8.44 में संशोधन :**

6.5.1 **मूल संहिता के खण्ड 8.44 के उप–खण्ड (ख) के स्थान पर एक नवीन उप–खण्ड निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात्:**

"(ख) गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के प्रकरण में, यदि किसी अवधि के दौरान जब मुख्य मापयन्त्र (मेन मीटर) दोषपूर्ण हो तथा प्रति–परीक्षण मापयन्त्र (चेक मीटर) स्थापित न किया गया हो या वह भी दोषपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन अनुसार औसत मासिक खपत के आधार पर किया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र, संयोजन की तिथि से तीन माह के भीतर, दोषपूर्ण होना पाया जाता है तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयन्त्र द्वारा अनुवर्ती

तीन–मापयन्त्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार पर किया जा सकता है :

जबकि, मौसमी उपभोक्ताओं के प्रकरण में, यदि किसी अवधि के दौरान जब मुख्य मापयन्त्र (मेन मीटर) दोषपूर्ण स्थिति में हो, प्रति–परीक्षण मापयन्त्र (चेक मीटर) स्थापित न किया गया हो,या फिर इसे भी दोषपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व वर्ष के दौरान समरूप (same) महीनों में अभिलेखित खपत के आधार पर किया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र प्रारंभिक मौसम के दौरान तीन महीनों के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता है तो विद्युत की मात्रा का आकलन मौसम के अवशेष महीनों की औसत मासिक खपत के आधार पर किया जा सकेगा।"

6.5.2 मूल संहिता के खण्ड 8.44 के उप–खण्ड (ख) के पश्चात् निम्न परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"परन्तु यह कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार विवादास्पद माह के दौरान उपभोक्ता की स्थापना (installation) में परिस्थितियां, यथास्थिति, इस प्रकार प्रचलित रही हों जिसके अनुसार गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के प्रकरण में पूर्ववर्ती (preceding) अथवा अनवुर्ती (succeeding) तीन महीनों की ऐसी औसत खपत पर या मौसमी उपभोक्ताओं के प्रकरण में पूर्व वर्ष के दौरान समरूप (same) माह में विद्युत खपत के आधार पर पाई गई औसत खपत, उपभोक्ता के साथ–साथ अनुज्ञप्तिधारी हेतु न्यायसंगत न हो तो ऐसी अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण अति उच्च दाब/उच्च दाब के प्रकरण में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसका पद भार स्थानीय क्षेत्र वृत्त के प्रभारी अधीक्षण यन्त्री से कम न होगा जबकि निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह वितरण केन्द्र के प्रभारी कनिष्ठ यंत्री द्वारा किया जाएगा तथा प्रकरण से संबंधित कारणों को लिखित में लेखबद्ध किया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि उपभोक्ता इस प्रकार किये गये निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो वह अति उच्च दाब/उच्च दाब (EHT/HT) के प्रकरण में प्रभारी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के समक्ष तथा निम्न दाब उपभोक्ता के प्रकरण में संभाग के प्रभारी कार्यपालन यन्त्री के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा, जिनका प्रकरण में प्रसारित निर्णय अन्तिम होगा।"

6.6 मूल संहिता के खण्ड 8.51 में संशोधन :

मूल संहिता के खण्ड 8.51 के स्थान पर निम्न खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"8.51 उपभोक्ता के उपरोक्त आवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी विशेष मापयन्त्र वाचन करवाने की व्यवस्था करेगा तथा परिसर के रिक्त होने की प्रत्याशित तिथि से कम से कम 7 (सात) दिवस पूर्व, देयक की दिनांक तक की पूर्व बकाया राशियों को सम्मिलित कर देयक को अद्यतन करते हुए, उसे अन्तिम देयक प्रदान करेगा। इस अन्तिम देयक में मापयन्त्र के विशेष वाचन की तिथि से परिसर के रिक्त होने की प्रत्याशित तिथि तक, प्रभारों को आनुपातिक आधार पर सम्मिलित किया जाएगा। मापयन्त्र के विशेष वाचन के प्रभारों की वसूली समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2022 में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएगी। अन्तिम भुगतान प्राप्त होने पर, ऐसी अन्तिम भुगतान प्राप्ति से अधिकतम सात दिवस की अवधि के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी अदेयता प्रमाण–पत्र जारी करेगा। तथापि, अदेयता प्रमाण–पत्र जारी होने पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कथित उपभोक्ता के विरूद्ध अतिरिक्त वसूलियों का दावा करने संबंधी अधिकार जैसा कि वे न्यायसंगत प्रयोज्य हों, किसी भी प्रकार से निर्वापित (समाप्त) (extinguish)न होंगे।

6.7 **मूल संहिता के अध्याय 8 के खण्ड 8.55 में संशोधन(addendum) :**

खण्ड 8.55 के पश्चात् एक नवीन खण्ड निम्नानुसार अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"स्मार्ट अग्रिम भुगतान मापन (मीटरिंग) तथा बिलिंग के क्रियान्वयन हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

8.56 अधिनियम तथा इस संहिता के उपबन्धों के अध्यधीन आयोग स्मार्ट अग्रिम भुगतान मापन (मीटरिंग) तथा बिलिंग के कार्यान्वयन हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में समय–समय पर आदेश तथा व्यावसायिक दिशा–निर्देश (practice directions) जारी कर सकेगा।"

7. **मूल संहिता के अध्याय 9 में संशोधन :**

मूल संहिता अध्याय 9 के खण्ड 9.11 के स्थान पर निम्न खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"9.11 उपभोक्ता द्वारा किये गये समस्त भुगतानों का समायोजन प्राथमिकता केनिम्नांकित क्रम में किया जाएगा :

(क) आयकर अधिनियम, 1961 (क्रमांक 43, वर्ष 1961) की धारा 206 ग के अधीन स्त्रोत पर एकत्रित कर

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 (क्रमांक 43, वर्ष 1961) की धारा 206 गके अधीन स्त्रोत पर एकत्रित कर की बकाया राशियां (arrears)

(ग) चालू खपत पर विद्युत शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी डयूटी) और उपकर (Cess)

(घ) विद्युत शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी डयूटी) और उपकर (Cess) की बकाया राशि

(ङ) विलम्बित भुगतान अधिभार

(च) पूर्व देयकों (बिलों) की बकाया राशि का शेष (Balance)

(छ) चालू देयक (बिल) राशि का शेष (Balance)

(ज) प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) का शेष।

(झ) उपरोक्त उल्लेखित प्रभारों के अतिरिक्त विविध प्रभारों का शेष, यदि कोई हो"

8. **मूल संहिता के अध्याय 11 में संशोधन :**

अध्याय 11 के खण्ड 11.2 के पश्चात् तीन नवीन परन्तुक निम्नानुसार अन्तः स्थापित किये जाएं, अर्थात् :

"परन्तु यह कि यदि उपभोक्ता द्वारा विद्युत का आगे और अधिक उपयोग आकस्मिक विशेष परिस्थितियों (force mejeure conditions) के कारण संभव न हो तो भले ही संहिता में कोई भी प्रतिकूल बात निहित क्यों न हो, उपभोक्ता को अनुबंध/करार को प्रारंभिक अवधि के भीतर भी अनुबन्ध का समापन करने का अधिकार होगा। उपभोक्ता को इस हेतु अनुबन्ध के समापन हेतु 15 दिवस का नोटिस देना होगा। अनुज्ञप्तिधारी का अधिकृत प्रतिनिधि ऐसी पूर्व सूचना (नोटिस) की प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर विशेष आकस्मिक परिस्थितियों के बारे में इसका सत्यापन करेगा तथा निष्कर्षों के आधार पर आवेदन को या तो स्वीकार करेगा या उसे निरस्त करेगा तथा अनुबन्ध के समापन के बारे में उपभोक्ता को तत्काल, जो अवधि किसी भी परिस्थिति में सत्यापन तिथि से सात दिवस से अधिक न होगी, अपने निर्णय के बारे में उसे सूचित करेगा :

परन्तु आगे यह और कि यदि उपभोक्ता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी विशेष मापयन्त्र वाचन की व्यवस्था करेगा तथा अनुबन्ध के समापन की तिथि तक अन्तिम देयक तैयार करेगा तथा अनुबन्ध की असमाप्त (unexpired) प्रारंभिक अवधि हेतु कोई बिलिंग नहीं करेगा। अनुबन्ध के समापन पश्चात् संयोजन को तत्काल स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि उपभोक्ता को अनुरोध को अस्वीकार किये जाने हेतु लिखित में स्पष्टतः अनुरोध को अस्वीकार करने बाबत कारणों से अवगत कराते हुए संसूचित किया जायेगा।

9. मूल संहिता के परिशिष्ट–1 में संशोधन :

परिशिष्ट–1 के वर्तमान शीर्षक के स्थान पर नवीन शीर्षक निम्नानुसार स्थापित किया जाए :–

"घरेलू तथा एकल–फेज गैर–घरेलू निम्न दाब सेवा संयोजनों हेतु आवेदन सह घोषणा प्ररूप"

परिशिष्ट–1 के साथ संलग्न 'निम्न दाब के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु मानक अनुबन्ध प्ररूप को विलोपित किया जाए।

10. मूल संहिता के परिशिष्ट–2 में संशोधन :

परिशिष्ट–2 के वर्तमान शीर्षक के स्थान पर नवीन शीर्षक निम्नानुसार स्थापित किया जाए :–

"घरेलू तथा एकल–फेज गैर–घरेलू निम्न दाब सेवा संयोजन श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों हेतु आवेदन प्ररूप"

परिशिष्ट–2 के साथ संलग्न मानक अनुबंध प्ररूप के खण्ड 9 में प्रथम वाक्य को विलोपित किया जाए तथा खण्ड 9 की तृतीय पंक्ति में शब्दों "अन्य उपभोक्ता" के स्थान पर शब्द "उपभोक्ता" स्थापित किया जाए।

टीपः– इस "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता), 2021 (प्रथम संशोधन)" के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति मे किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पाण्डा, आयोग सचिव.